

21/9/07

Not
press
cut

पत्रावली पेश। प्राची अधिवक्ता उप।
प्राची अधिवक्ता ने प्राची पत्र (136, 131
LRL Act) को नोट पेस जादर कट निवेदन
किया कि उक्त पत्रों को चलाया नहीं जाये
है। अतः पत्रों में आशय में नहीं
चलाया जाये है। अतः प्राची पत्र जादर
नोट पेस खारिज करमावे। पत्रावली का अवलोकन
किया गत किया। प्राची की ओर से
अधिवक्ता का प्राची पत्र (136, 131 LRL Act)
को जादर नोट पेस इसे स्तर पर खारिज



किन्ना जाग है। पत्रावली केसल शुगाट डोकल
पारिवल दफतर डोकल नम्बर ले काग हो 13
✓

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालोर)

आचार्यजी के लिए लिखित पत्रों में प्रमाणित
कि प्रमाणित है कि यह पत्रों में प्रमाणित
है कि...